

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 34/2021

रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/57

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक  
लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल  
एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर,  
अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री विकास कटारा पुत्र श्री लाला कटारा  
निवासी 448 होली चौक छींच तहसील  
बागीदोरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान (ऋणी)
2. श्रीमती कोदारी पत्नी श्री लाला कटारा निवासी  
448 होली चौक छींच तहसील बागीदोरा जिला  
बांसवाड़ा राजस्थान (सहऋणी)
3. श्री लाला कटारा पुत्र श्री गौतम निवासी 448  
होली चौक छींच तहसील बागीदोरा जिला  
बांसवाड़ा राजस्थान (सहऋणी)
4. श्रीमती शारदा पत्नी श्री विकास कटारा निवासी  
448 होली चौक छींच तहसील बागीदोरा जिला  
बांसवाड़ा राजस्थान (सहऋणी)

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 30.03.2022

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर,  
अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री विकास कटारा पुत्र श्री लाला कटारा निवासी  
448 होली चौक छींच तहसील बागीदोरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान (ऋणी) 2- श्रीमती कोदारी पत्नी श्री लाला  
कटारा निवासी 448 होली चौक छींच तहसील बागीदोरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान (सहऋणी) 3- श्री लाला  
कटारा पुत्र श्री गौतम निवासी 448 होली चौक छींच तहसील बागीदोरा जिला बांसवाड़ा राजस्थान (सहऋणी)  
4- श्रीमती शारदा पत्नी श्री विकास कटारा निवासी 448 होली चौक छींच तहसील बागीदोरा जिला बांसवाड़ा  
राजस्थान (सहऋणी) के खाते दिनांक 04-06-2021 तक कुल बकाया ऋण राशि 342923 रु. (तीन लाख  
बयालीस हजार नौ सौ तेईस रूपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में सम्पत्ति पर प्रतिभूति

हित में साम्यिक बंधक किया है। गिरवीकृत अचल सम्पत्ति श्री लाला कटारा पुत्र गौतम क



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

छीच, ग्राम पंचायत व तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा सर्वे नं. 226, जिसका कुल क्षेत्रफल 660 वर्गफीट है को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।


प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लायसेंस सं. एम.यू.एम.-119 दिनांक 30.06.2016 से भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिये लायसेंस प्रदान किया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 21-06-2021 को ऋणी/सहऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व उसने ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 29.09.2018 रु. 321000/- (अक्षरे तीन लाख इक्कीस हजार मात्र) ऋण स्वीकृत किया गया था अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 04.06.2021 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। बावजूद नोटिस तामिल अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। न्यायहित में अप्रार्थीगणो को दिनांक 08.03.2022 को सूचना पत्र जारी किये गए किन्तु बावजूद सूचना पत्र तामिल होने पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। दिनांक 30.03.2022 को अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय बहसी सूनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।




  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय हॉटल एप्पल इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डी.सी.एम.जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/ वित्तीय संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(अंकित कुमार सिंह)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
बासवाड़ा (राज.)